आचरण सम्बन्धी नियम

महाविद्यालय की प्रतिष्ठा बढ़ाने एवं स्वस्थ परम्पराओं के निर्माण के लिए विद्यार्थियों द्वारा लगन से कार्य किया जाना अनिवार्य है, एतदर्थ महाविद्यालय में कठोर अनुशासन का पालन अपेक्षित है।

अनुशासन के नियम सम्पूर्ण गतिविधियों के लिए हैं। कक्षा में महाविद्यालय प्रांगण में सांस्कृतिक कार्यक्रमों, एन.एस.एस. या खेल–कूद प्रतियोगिता आदि के समय ऐसा कोई काम नहीं किया जाना चाहिए जो कि शिष्ट व्यवहार के प्रतिकूल हो।

1. महाविद्यालय में किसी संस्था या क्लब के निर्माण हेतु प्राचार्य की पूर्वानुमति आवश्यक है।
2. महाविद्यालय में सभा आयोजन करने अथवा बाहर से किसी व्यक्ति को आमंत्रित करने के लिए प्राचार्य की पूर्वानुमति एवं सहमति अनिवार्य है।
3. छात्राएं अपने खाली समय का सदुपयोग पुस्तकालय एवं वाचनालय में करें।
4. छात्राएं फूलों एवं पौधों का उचित संरक्षण एवं संवर्द्धन करें।
5. छात्राएं महाविद्यालय सम्पति का उचित ढंग से उपयोग करें। महाविद्यालय के उपकरण, पंखे एवं बिजली के उपकरणों को क्षति न पहुँचायें। महाविद्यालय परिसर में दीवारों को गन्दा न करें, कचरा परिसर में इधर–उधर न फेंक कचरा पात्र का उपयोग करें। इस सम्बंध में दोषी पाये जाने पर कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. छात्राएं कक्षाओं के भीतर व बाहर शान्त रहें तथा घंटा बजने के उपरान्त एक कमरे में से दूसरे कमरे में जाते समय शोर न करें।
7. अच्छा चरित्र प्रमाण पत्र पाने के लिए अच्छा आचरण एवं शिष्ट व्यवहार नितान्त आवश्यक है अतः छात्राएं प्राध्यापक के आने से पूर्व अपनी कक्षाओं में प्रविष्ट हों तथा प्राध्यापक द्वारा कक्षा छोड़ने तक वहीं रुकें। शिक्षकों के प्रति शालीन रहें।
8. महाविद्यालय में नियमित प्रवेश लिए बिना, छात्रा को कक्षा में नहीं बैठने दिया जायेगा।
9. महाविद्यालय की विभिन्न गतिविधियों में केवल महाविद्यालय की नियमित छात्रा ही भाग ले सकेगी।
10. कुर्सियों को कमरे से बाहर न निकालें, न ही कक्षाओं में तोड़–फोड़ करें।
11. कक्षा के बीच से किसी छात्रा को न बुलायें। आवश्यक होने पर प्राचार्य से सम्पर्क करें।
12. छात्राएं अपने वाहनों को नियत स्थान पर ताला लगा कर रखें।
13. अनुशासन भंग करने वाली छात्रा के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। दोषी विद्यार्थियों को अनुशासन समिति के सुझाव द्वारा निम्नांकित में से कोई भी दण्ड दिया जा सकता है–
    1. चेतावनी, 2. वित्तीय दण्ड, 3. कक्षाओं से निलम्बन, 4. महाविद्यालय से निष्कासन (विश्वविद्यालय अधिनियम 0.88 के अन्तर्गत प्राचार्य को अधिकार है कि वह अपराध की प्रकृति एवं गम्भीरता के अनुसार (अ) विद्यार्थी को एक समय में तीन माह की अवधि के लिए कक्षा से निलम्बित (Suspend) कर सकते हैं। (ब) एक माह के लिए निष्कासन (Suspend) कर सकते हैं। (स) छः माह अथवा इससे अधिक अथवा पूरे शैक्षणिक सत्र के लिए निष्कासन कर सकते हैं।
14. महाविद्यालय की गरिमा बढ़ाने हेतु स्थापित मान्यताओं, परम्पराओं एवं मर्यादाओं का पालन करना आवश्यक तथा अनिवार्य है।
15. महाविद्यालय द्वारा आयोजित किसी सभा या समारोह के अवसर पर सभी विद्यार्थी, अतिथिगण, प्राचार्य एवं संकाय सदस्यों के सभा स्थल में प्रवेश होने एवं प्रस्थान करने के समय शिष्टाचार पूर्वक खड़े रहें, तथा उनके स्थान ग्रहण करने से लेकर छोड़ने तक सभा स्थल पर उपस्थित रहें।
16. प्रत्येक परिसंवाद और वाद–विवाद में विनम्रता, सम्मान और सद्व्यवहार अपेक्षित है।